न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह

अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 412—पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21—1—2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 96/12—13/अपील.

....

नंदकिशोर पुत्र रामरतन जाति ब्राम्हण
निवासी ग्राम बिजकपुर
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .... आवेदक

विरूद्ध

रतीराम पुत्र भागीरथ बघेल
निवासी ग्राम बिजकपुर
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .... अनावेदक

....

श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 12 दिसम्बर 2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—1—14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील नामांतरण पंजी कमांक 5 पर पारित नामांतरण आदेश दिनांक 26—7—05 के विरूद्ध दिनांक 29—5—13 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की

धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–1–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील समय–सीमा में मान्य की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जबकि अनावेदक को ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि विक्रय कर दिये जाने से उस पर उसका स्वत्व समाप्त हो गया था, अतः उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य ही नहीं थी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 8 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि इतने वर्षों तक अनावेदक को ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लिखित विलम्ब के कारणों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाधानकारक पाते हुए ही विलम्ब क्षमा किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने विवेक का उपयोग कर विलम्ब क्षमा किया गया है, जिसमें निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक की ओर से प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा ग्राम

बिजकपुर तहसील डबरा जिला ग्वालियर स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 462 रकबा 1.600 हेक्टेयर में से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4–4–05 के माध्यम से 0.400 हेक्टेयर भूमि आवेदक को विक्रय की गई थी, परन्तु आवेदक ने ग्राम पंचायत से दिनांक 26–7–05 को अनावेदक की सम्पूर्ण भूमि 1.600 हेक्टेयर पर अनावेदक की अनुपस्थिति में पीठ–पीछे अपना नामांतरण करा लिया, जबकि उसे केवल 0.400 हेक्टेयर भूमि पर ही नामांतरण कराने का अधिकार था । उक्त तथ्य की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण से होती है । स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरण आदेश पूर्णतः विधि विपरीत होकर अन्यायपूर्ण आदेश है, और ऐसे आदेश में समय–सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । वैसे भी सम्पूर्ण भूमि 1.600 हेक्टेयर पर आवेदक का नामांतरण संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त धाराओं के अंतर्गत विधिपूर्वक स्वत्व अर्जित होने पर ही नामांतरण किये जाने का प्रावधान है, और आवेदक को 0.400 हेक्टेयर के अतिरिक्त शेष भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुए है । इसके अतिरिक्त सामान्यतः तकनीकी आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके स्वत्व की भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–1–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर